संख्या-आई/ 1275653 /2026/9-8002(002)/1/2025
ई- कम्प्यूटर सं0 -1888287

प्रेषक,

पारस नाथ,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद-मऊ।

नगर विकास अनुभाग-8 **लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2026**

विषय:- पार्को का निर्माण एवं विकास योजना के अन्तर्गत द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया विषयांकित प्रकरण के संबंध में शासनादेश संख्या-253/2024/413/नौ-5-2024/001-कम्प्यूटर संख्या-1772402 दिनांक 13.01.2024 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सेक्टर के अंतर्गत पार्कों का निर्माण एवं विकास योजना हेतु नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन, जनपद- मऊ को कुल धनराशि रूपये 61.55 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रूपये 30.00 लाख धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- उक्त धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की सत्यापन आख्या के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। जिलाधिकारी, मऊ की उक्त संस्तुति पर सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पार्कों का निर्माण एवं विकास योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन जनपद-मऊ को द्वितीय किश्त की अवशेष **रूपये 31.55 लाख (रूपये इकतीस लाख पचपन हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

3- नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य/बैंक/डाकघर/पी०एल०ए०/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
(2) स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी।
(3) पार्क के लिए चहार-दीवारी तथा यथासंभव पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।
(4) पार्क में महिला एवं पुरूष प्रसाधन अलग-अलग होगें।
(5) पार्क में घास एवं पर्याप्त हरियाली के लिए छायादार पेड़ पौधे तथा फूल इत्यादि लगायें जायेंगे।
(6) शुद्ध पेयजल एवं पेड़ पौधों की सिंचाई हेतु सबमर्सिबल पम्प लगाये जायेंगे।
(7) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।
(9) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(10) स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(11) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्प्ले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(12) व्यय की गयी धनराशि का उपायोगिता प्रमाण-पत्र गठित किये गये आगणन में उल्लिखित कार्यों के सापेक्ष कार्यवार विवरण शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।

(13) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(14) कार्य की गुणवत्ता का उत्तरदायित्व, संबंधित निकाय के अधिशासी अधिकारी की होगी।

(15) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त, नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण हो, तो संबंधित वित्त, नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 31,55,000 (रुपये इकतीस लाख पचपन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217801920800 पार्कों का निर्माण एवं विकास मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by PARAS NATH
Date: 23-03-2026 11:21:45

भवदीय,
(पारस नाथ)
अनुसचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3. संबंधित मण्डलायुक्त, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ, उत्तर प्रदेश।
8. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
10. गार्ड फाइल/कम्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
(पारस नाथ)
अनुसचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-23/03/2026

प्रेषण संख्या:- 1275653
आवंटन आदेश संख्या:- 001-I-1275653-2026-9-8002-002-1-2025
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
08 - पार्कों का निर्माण एवं विकास

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	मऊ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3155000 3155000	3155000 3155000
	योग	वर्तमान प्रगामी	3155000 3155000	3155000 3155000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया इकत्तीस लाख पचपन हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया इकत्तीस लाख पचपन हजार

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव